मैसर्स मेहाई मिनरल्स, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 13.11.2024 प्रातः 11.00 AM बजे, ग्राम पंचायत वासु, ग्राम– वासु, तहसील–कुराबड़ (गिर्वा), जिला–उदयपुर

मैं. गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर उपस्थित श्रीमती उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदया, गिर्वा, उदयपुर का स्वागत करते हुये मैसर्स मेहाई मिनरल्स एवं द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार खनन परियोजना (एम.एल.न. 28/2022 (लीज क्षेत्र 1.4688 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 13. 6514 हैक्टेयर, प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 161676 TPA एवं प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1021544 TPA (ROM) निकट ग्राम–वासू, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर की जनसुनवाई के कार्यक्रम का प्रारंभ करता हुँ।

इस परियोजना हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आप सभी उपस्थित जन समूह का स्वागत करता हूँ। जैसा कि विदित है कि उक्त परियोजना हेतु जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 10.10.2024 एवं स्थानीय समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 10.10.2024 को प्रकाशित करवा आज दिनांक 13.11.2024 तक इस परियोजना की जन सुनवाई आयोजित करने एवं साथ ही आम जन से सुझाव एवं आक्षेप मांगे गये थे।

इसी क्रम में आप उपस्थित जन समूह से सादर निवेदन है कि आपके समक्ष अभी इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार M/s Vitasta Enviro Services Pvt.Ltd. के प्रतिनिधि पूरी परियोजना का विस्तृत विवरण एवं जानकारी Power Point Presentation के माध्यम से प्रस्तुत करेगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुने एवं समझे एवं प्रस्तुतीकरण पूरा होने के पश्चात् उपस्थित जन समूह में से किसी को भी कोई सुझाव/शिकायत/आक्षेप हो तो कृपया अपना नाम पता सहित जानकारी देते हुये मौखिक एवं लिखित अभ्यावेदन के द्वारा प्रस्तुत करे ताकि उचित कार्यवाही हेतु इसे समक्ष स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

अब मैं श्रीमति उपखण्ड अधिकारी महोदया की आज्ञा से इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार M/s Vitasta Enviro Services Pvt.Ltd. के प्रतिनिधि से निवेदन करूगां कि आप इस परियोजना की विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समूह को प्रस्तुत करे।

GopalSingh

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:–

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

अब मैं उपस्थित जन समुह से आग्रह करना चाहता हूँ कि जन सुनवाई में उपस्थित किसी व्यक्ति को कोई सुझाव शिकायत अथवा आक्षेप हो तो कृपया अपना नाम पता सही जानकारी देते हुए मौखिक एवं लिखित रूप से अभ्यावेदन के द्वारा प्रस्तुत करे ताकि कार्यवाही ताकि उचित स्तर पर कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जा सके आप में से कोई बोलना चाहेगा कुछ भी, कृपया पहले अपना नाम बताए फिर अपना पता गॉव से किस गॉव से हैं वो बताए।

श्री दशरथ सिंह पैंवार – ग्राम वासु :–

मेरा निवेदन यह है कि अगर माईनिंग की गहराई जो है हम मीटर बता रहे है अभी आप हमारे कुंओ की गहराई लगभग 30 फीट या 40 फीट है और यह माईनिंग जहां हो रही है वो जल स्तर हमारे कुंओ का कम हो जाता है फिर गर्मी में पानी की बहुत समस्या रहती है और खेतीबाड़ी में तकलीफ आती है बहुत और इससे प्रदुषण का भी है क्योंकि वाहन जाते है यहां से खाली और उसकी वजह से पूरी रोड़ पर शाम को भी निकलते है खाना खाने के समय होता है कोई दुकानदार बैठे होते है तो वाहन जाते है उनसे हमारे को काफी हानि रहती है।

श्री निर्भय सिंह – ग्राम वासु:–

मेरा यह कहना है कि जो ब्लास्टिंग होती है जो पास में मकान है उनकी दरारे कई शिकायते भी की है उन्होने पोर्टल पे आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई मतलब इसकी जो आप लीज देते हो सर तो लीज की कोई फिकस डिस्टेन्स तो होगा आबादी क्षेत्र से कितना दूर या कितना पास जो यह माईन्स लगी हुई है जो 200 या 250 मीटर के अन्दर लगी हुई है पास में आवास है मकान बने हुए है पक्के उनमें दरारे आ रही है यह पीछे वाली माईन्स है उसमें 200 मीटर ही है मेघवाल बस्ती है आए दिन यह लोग परेशान रहते है और गहरी है यह तो भाई साहब ने बता दिया गहरी है जलस्तर कम हो रहा है किसानो को परेशानी उठानी पड़ रही है गर्मी के टाईम में अभी चल रहा है गर्मी के टाईम ज्यादा दिक्कते आती है।

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

मैं परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार विकास एन्वायरो सर्विसिज प्रा. लि. से आग्रह करूंगा कि आप इनके आक्षेप का जवाब प्रस्तुत करे।

पर्यावरणीय सलाहकार –

जैसा कि पहला जो आपने सुझाव दिया जो आपकी शिकायत थी वो जल स्तर को लेके थी तो सब जो हमारी यहां पर जो नमुने लिए गए है जहां पर हमारी जो लीज है वहां पर जो जल स्तर है वो 80 से 85 का पाया गया तो उसी के अनुसार यह कार्यवाही की जा रही है उससे नीचे डेप्थ में कोई भी माईनिंग के लिए बिल्कुल भी अवरोध है पूरी तरह से और भी अगर आपको इससे अगर लगता है कि कहीं है तो उसके लिए बिल्कुल उपाय किए जाऐंगे सेकण्ड जो थिंग है सेकण्ड जो आपने बताई वो धुआ उड़ता है यह अपने चलने वाले ट्रको वाहनो से तो उसके लिए सर स्पेशली ग्रीन बेल्ट के लिए सड़क के दोनों और ग्रीन बेल्ट के लिए प्रस्तावित है और साथ ही साथ पानी का छिड़काव उसके लिए भी टेंकर के लिए हर दोपहर में और शाम के वक्त पानी का छिड़काव किया जाएगा यह प्रस्तावित है। यह इसमें उसके लिए अलग से इसमें कोस्ट भी है जिसके लिए टेंकर और इनकी व्यवस्था की गई है उसके उपाय के लिए और जैसा कि आपने कहा आपकी शिकायत थी कि गाइडलाईन है जो पचास मीटर के दायरे में है पचास मीटर के दायरे में आने वाले कोई भी आवासीय क्षेत्र तो वहां पर हमें एनओसी नहीं मिलती उससे बाद अगर कोई हमारे डीजीएमएस की गाईडलाईन पचास मीटर के आगे अगर कोई आवासीय है तो कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जाती है जो एक टाईमिंग के अनुसार की जाती है और यह टाईमिंग एक से दो के बीच में होता हे इसके अलावा नहीं होता और जो उपर का जो ऑवर जो हमारे ब्लास्टिंग की सिर्फ कुछ लिमिटेड टाईम के लिए की जाती है जो उपर की हमारी सोईल हे उसको हटाने के लिए जब अगर मैन जो मटेरियल है वो जब स्टार्ट हो जाता हे तो उसके बाद हमारी माईनिंग में ब्लास्टिंग बंद हो जाती है तो जो उपर की जो चीजे है उनको हटाने के लिए कन्ट्रोल्ड माईनिंग की जाती है वो पूरी तरह से सुरक्षित और सुरक्षाओं का ध्यान रखा जाता है साथ ही साथ जो निर्देश है वो भी पूर्ण रूप से उसका ध्यान रखा जाता है।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

अन्य कोई व्यक्ति आप में से और कोई कुछ भी बोलना चाहे कोई सुझाव देना चाहे।

श्री दशरथ सिंह पँवार – ग्राम वासुः–

सर मैं जल स्तर के मामले में पूरा समझा नहीं सर आप बता रहे हो 80 फीट के कुएं जहां कुएं की गहराई 30 फीट ही है 30 फीट में पानी है आपका एरीया वैसे ही डाउन है अब यह गॉव हो गया उपर आपका लेवल नीचे तो अगर 64 फीट भी गहराई में ले जाओगे तो पानी कैसे रहेगा इन कुंओ में गॉव वाले लोग क्या करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

Gopal Singh

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय सलाहकार –

जी बिल्कुल आप सही कह रहे है जियोलोजी की साईट से जो स्तर बताई गई है जो नमुने लिए गए है वो हर एक डिस्टेन्स वाईस चेन्ज होते है जैसे आपका कुंआ जहां है वहां पर जो जल स्तर है वो हो सकता हे कम हो लेकिन जहां पे जो लीज है वहां का जो जल स्तर है उसके आस पास के जो दस किलोमीटर के एरीए में जो जल स्तर है आस पास के उसमें अलग–अलग डिस्टेन्स पर मेटर करता है तो वो अगर जल स्तर में और एक पूरी तरह से प्रतिबंन्धित है कि अगर आप जल स्तर से नीचे कोई भी माईनिंग नहीं कर सकता हूँ उसके उपर ही माईनिंग की जाएगी उसके अलावा कोई माईनिंग नीचे प्रतिबन्धित रूप से है उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। सर यह प्रस्तावित है इसके बाद अगर आपको शिकायत होती है तो गोरमेन्ट बॉडिस् है आप वहां शिकायत कर सकते है।

श्री निर्भय सिंह – ग्राम वासु :–

मिट्टी की बात कर रहे थे सर गाड़ी जाती है उस टाईम पानी छिड़काव होता है जैसे डम्पर इधर भी आते है गॉव की तरफ बाकी भरी हुई गाड़िया तो अक्सर उधर जाती है और कभी कभी कोई कोई गाड़ी भरी हुई इधर निकलती है बाकी कभी इधर तो पानी छिड़काव नहीं हुआ है उधर होता है।

पर्यावरणीय सलाहकार –

सर यह हमारी यह प्रस्तावित है वो पुरानी जो आपके जो सम्बन्धित शिकायते है वो जो यहां पे ऐस्टेब्लीश जो पहले से चल रही है वो वाली शिकायते है हमारी प्रस्तावित शिकायते हम इन चीजों का विशेष तौर से ख्याल रखेंगे और जो प्रस्तावित है उसमें पानी छिड़काव के लिए अलग से कोस्ट है और टेंकर की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही साथ जो यहां के लोकल मजदूर है उनको ही वहां पर नरौकरी के लिए रखा जाएगा 18 मजदुर यहीं गॉव से लिए जाऐंगे उनके लिए अलग से सारी व्यवस्थाएं इस प्रस्तावित इस प्रस्ताव में है तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा।

श्री केसर सिंह – ग्राम वासु:–

सर यहां पहाड़ी का इलाका है यहां नीचे खड़ीयां है उपर में मवेशी वगेहरा कोई उसके अन्दर नहीं गिर जाए वो उपर से गिरने का खतरा है।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप इनको बताईए आप इस विषय में क्या करेंगे।

पर्यावरणीय सलाहकार –

जैसा कि बताया गया कि वन्य जीव और जो यहां के जो जीव है वो खाड़ी में गिरने से या उनके नुक्सान हो जाता है तो उसके लिए बाड़ाबन्दी कर दी जाएगी लीज की तरफ से हमारे क्लाइंट की तरफ से।

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा. उदयपुर

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

लीज होल्डर जानवरों के लिए अलग से बाड़ाबन्दी करेगा या अपनी लीज के चारो तरफ तारबन्दी करेगा?

पर्यावरणीय सलाहकार –

अपनी लीज के चारो तरफ ताराबन्दी करेगा।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

तो आप यह बताईए कि लीज के चारो तरफ आप तारबन्दी कर देंगे ताकि कोई जानवर आपकी लीज में नहीं जाएगा, ठीक है। अन्य कोई व्यक्ति जिसको कुछ कहना हो कुछ बात और आपके मन में कोई सवाल आ रहे हो तो आप पूछ सकते है कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते है और जिस किसी को भी मतलब Existing लीज से भी अगर कोई शिकायत है तो वो शिकायत भी लिखित में हमें यहां दे सकते है जो लीज चल रही है या जिसका आप आप कह रहे है कोई ट्रक या डम्पर यहां से निकलता है आपको धूल मिट्टी की परेशानी है तो आप उसकी भी शिकायत हमें दे सकते है।

ग्रामवासी :–

माईनिंग के लिए रोड़ फिक्स नहीं होता है सर किधर भी जा सकती है गाड़ियां भरी हुई?

पर्यावरणीय सलाहकार :–

सर जो पोसिबल होता है आवासीय से रोड़ नहीं जाता है पोसिबलिटी यही होती है कि जितना हो सके उतना हम आवास से दूर ही उनको लेके जाए या उन्हीं से वहीं रास्ता choose करे जहां से ना आवास जो वहां उपस्थित ग्रामवासी उनको नुकसान हो ना किसी वन्य जीव को नुकसान हो अगर पोसिबलिटी ऐसा होता है तो कच्चा रास्ते का अलग से प्रावधान होता है तो कच्चा रास्ता अगर उपलब्ध होता है तो।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपको अगर लीज होल्डर का पता है आप दे सकते है, कि किस लीज होल्डर का है आप रिटन में और इसके अलावा कोई आप में से पीछे कोई खड़ा है कोई कुछ बोलना चाहता हो एक्सिस्टींग लीज से या अभी प्रस्तावित जो भी खनन परियोजना है उससे किसी को भी कोई शिकायत या सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते है।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

GopalSingh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री तखत सिंह – ग्राम वासुः–

जैसे ब्लस्टिंग होती है तो हमारे यहां पशु को और सबको प्रोब्लम हो रही है पत्थर पड़ते है क्रेक आ गया हमारे मकान में सर दो–तीन बार कम्पलेन दिया था कोई कार्यवाही हुई नहीं?

श्रीमती रीया डाबी मेडम, एस.डी.एम., गिर्वा, उदयपुर :–

किसको कम्पलेन दिया था?

श्री तखत सिंह – ग्राम वासुः–

भईया ने ऑनलाईन दिया था पोर्टल पे।

श्रीमती रीया डाबी मेडम, एस.डी.एम., गिर्वा, उदयपुर :–

सम्पर्क पोर्टल पर ?

श्री तखत सिंह – ग्राम वासुः–

तो अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ब्लास्टिंग तो रूक ही नहीं रही।

श्रीमती रीया डाबी मेडम, एस.डी.एम., गिर्वा, उदयपुर :–

कौन से समय हो रही है?

श्री तखत सिंह – ग्राम वासु–

कभी भी होती है दिन को होती है कभी रात को होती है रात को इतना नहीं शाम को होती है तो हमारे घर पे क्रेक आ गए है।

श्रीमती रीया डाबी मेडम, एस.डी.एम., गिर्वा, उदयपुर :–

फिक्स टाईम है अपना एक से दो बजे पूरे दिन में एक ही, सुबह भी हो रही है शाम को भी हो रही है।

श्री तखत सिंह – ग्राम वासुः–

पत्थर हमारे बाड़े में आ रहे है और हमारे घर से 200 मीटर दूर है माईन्स।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

अगर आपको माईन्स का एम.एल. नम्बर अगर कुछ पता है तो आप वो डिटेल शेयर करके थोड़ा सा स्पेसिफिक शिकायत कीजिए किस लीज में existing अगर वहां पर दस लीज है या पाँच लीज है जितनी भी चल रही है उसमें से किस लीज में ब्लास्ट हो रहा है अगर आपको कुछ पता हो

GopalSingh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

तो वो डिटेल शेयर करे, अन्य कोई महानुभाव कोई अपनी कुछ बात कहना चाहता हो, आप चाहे तो लिखित में भी दे सकते है अगर कोई यहां बोल नहीं पा रहा है तो।

श्रीमती रीया डाबी मेडम, एस.डी.एम., गिर्वा, उदयपुर :–

लिखित में आप मुझे अभी दे सकते है मेरे ऑफिस में दे सकते है, तहसीलदार कुराबड़ है, उनको दे सकते है जो ब्लास्टिंग की बात आ रही है वो लिखित में दे दीजिए मैं माईनिंग वालों से फिर बात करूंगी वो अलग विभाग हो जाता है कल तक दे देना कोई दिक्कत नहीं है और आज का जो माईनिंग प्रोजेक्ट की जनसुनवाई है उसके बारे में किसी को और कुछ कहना है जो प्रस्तावित है वो।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

जो शिकायते है वो तो एक्सीस्टींग से है जो चल रही है उनसे अभी इनकी प्रस्तावित है इनके बारे में भी आपको लगता है कि यह ऐसा करते है कहते फिर बाद में करते नहीं है तो उसकी भी आप कह सकते है कि साहब पहले भी उन्होने यह कहा था वो यह नहीं कर रहे तो यह भी बहुत सारे चीज कह रहे है आपको कुछ चीजे हो सकता है बाद में नहीं करे तो आप अभी से पहले से ही सुझाव दे दीजिए कि यह चीजे करी जानी चाहिए अगर किसी को कुछ कहना है देना है तो आप बोलिए कोई क्या कुछ बोलना चाहे वो। अब मैं उपखण्ड अधिकारी महोदया से निवेदन करूंगा कि वो इस परियोजना के बारे में अपने विचार उपस्थित सभी ग्रामवासीयों के जनसमुह से साझा करे।

श्रीमती रीया डाबी मेडम, एस.डी.एम., गिर्वा, उदयपुर :–

आपको जो भी लिखित में अपने सुझाव देने है कोई कम्पलेन है आप मुझे दे देना कल मेरे ऑफिस दे देना या तहसीलदार कुराबड़ को दे देना वो मुझे दे देंगे ठीक है और आज की जो जन सुनवाई है वो इसलिए प्रस्तावित है जिससे आपको सारी जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में हम दे पाए और यह जो आपने सारी परेशानियां बताई है यह उपर हम जयपुर SEIAA एक ऑथोरिटी है वहां पे हम भेजते है फिर इसका कोई डिसिजन होता है यह सिर्फ एक जन सुनवाई है इसमें अभी कुछ भी यह नहीं है कि हम इसको क्लियरेन्स दे रहे है यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है इसलिए जो भी कोई शिकायत है आप दे दीजिए हम वो उपर पहुचाऐंगे ठीक है।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

अंत में आप सभी ग्रामवासीयों और जन समुह का अपना अपने और श्रीमति उपखण्ड अधिकारी महोदया के ओर से आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस परियोजना हेतु आपयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई में उपस्थित हुए और हमें अपना सहयोग प्रदान किया इसी के साथ आज आयोजित जन सुनवाई का प्रारंभ करते है। धन्यवाद जयहिंद।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को

sd
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद सहायक पर्यावरण अभियन्ता महोदय ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(रीया डाबी)
उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा
जिला–उदयपुर

Gopal Singh

(गोपाल सिंह गुर्जर)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

मैसर्स मेहाई मिनरल्स, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार (एम.एल.न. 28/2022, क्षेत्रफल– 1.4688 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1021544 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 161676 TPA निकट ग्राम– वासु, तहसील–कुराबड़ (गिर्वा), जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 13.11.2024 को प्रातः 11.00 AM बजे, ग्राम पंचायत वासु, ग्राम– वासु, तहसील–कुराबड़ (गिर्वा), जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	RIA DABI (IAS)	SDM GIRWA	[illegible]
2	GOPAL Singh Gurjar	AEE, RSPCB	GopalSingh
3	भोन्दी	सरपंच	भोन्दी
4	C.P. Jeengar	RPCB, Udaipur	[illegible]
5	दशरथ सिंह		
6	हिम्मत सिंह	वासु कुराबड	हिम्मत
7	देवेन्द्र सिंह	वासु कुराबड	देवेन्द्र सिंह
8	लोगर	वासु कुराबड	लोगर
10	अनिल मेघवाल	राजस्व विभाग (पटवारी)	[illegible]
11	प्रेमसिंह पंवार	वासु कुराबड	[illegible]
12	निर्भय सिंह	वासु कुराबड	निर्भय सिंह
13	दशरथ सिंह	वासु कुराबड	दशरथ सिंह
14	गुमान सिंह	वासु कुराबड	[illegible]
15	भंवरलाल	वासु	भंवर
16	नन्दु राम	वासु	नन्दु
17	जयपाल सिंह	वासु	Jaipal
18	युवराज सिंह	वासु	[illegible]
19	केशर सिंह	वासु	केशर सिंह
20	राम सिंह (Applicant)	V.P. [illegible] ANAND	[illegible]
21	गोपाल सिंह	जगत	गोपाल सिंह
22	ओमराजसिंह शक्तावत	जगत	ओमराजसिंह

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
23	उत्तमबाई	वसु	उत्तमबाई
24	फुलचन्द मेवाल	वसु	फुलचन्द
25	नरपत सिंह पवांर	वसु	नरपतसिंह
26	लोकेश वैरागी	वसु	लोकेशवैरागी
27	भवतसिंह	वसु	भवतसिंह
28	हेमेन्द्र सिंह पवांर	वसु	[signature]
29	माधवसिंह	वसु	[signature]
30	गोपालसिंह पवांर	वसु	[signature]
31	विजयसिंह पवांर	वसु	[signature]
32	अमरसिंह	रुपालिया	[signature]
33.	Bhoopendra Prajapat	UESPL	[signature]
34	Rajkumar Yadav	UESPL - Jaipur	[signature]
35	Ritesh Purbiya	UESPL pm	[signature]

लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। गांव के लोग अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं और जल्द से जल्द पैंथर को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/	खसरा संख्या / ब्लॉक	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	प्रार्थी श्री अजय कुमार वत्स पिता श्री यज्ञदत्त त्यागी	सवीना खेड़ा	1650 से 1653, 1657 से 1660 1662	23	2528.00 वर्गफीट	ग्राम सवीनाखेड़ा में प्राधिकरण के क्वाटर आर 5 के समीप अनुमोदित प्लान की 80 फीट सड़क पर स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो न्यास कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

...मानत खारिज

...फर्जी पट्टा प्राप्त करने के ...रोपिया वृद्धा की ओर से ... प्रार्थना पत्र पेश किया। ...विभाग के सहायक निदेशक ...ने मामला फर्जी पट्टे में करोड़ों ... है। दोनों पक्षों की बहस सुनने ...ष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण ...म-2 की पीठासीन अधिकारी ...प कौर ने वृद्धा के जमानत ...को नामंजूर कर दिया और उसे ...या।

...ड़ का बजट

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ : 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय :- मैसर्स मेहाई मिनरल्स, एम.एल.न. 28/2022 (क्षेत्रफल 1.4688 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्सपार", ग्राम-वसु, तहसील- गिर्वा (कुराबड़), जिला- उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मेहाई मिनरल्स, एम.एल.न. 28/2022 (क्षेत्रफल 1.4688 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्सपार", ग्राम- वसु, तहसील- गिर्वा (कुराबड़), जिला- उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन (एम.एल.न. 28/2022, क्षैत्रफल 1.4688 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 161676 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है :-
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील- गिर्वा (कुराबड़), जिला - उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ- 470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.11.2024 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत वसु, ग्राम-वसु, तहसील- गिर्वा (कुराबड़), जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/ आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शाल टावर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्ज़दार और डीएचएफएल के बीच हुए ऋण अनुबंध के अनुसरण में मंजूर की गई आवास ऋण सुविधा के संबंध और प्रतिभूति के प्रवर्तन के संबंध में निम्न वर्णित कर्ज़दारों को (बुनियादी समूह दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को समनुदेशित किए जाने पर) माँग सूचनाएँ जारी की थीं, जिसमें उनसे सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर करने की माँग की गई थी।

कर्ज़दार उपरोक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद् द्वारा कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्ज़ा निम्न वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। कर्ज़दार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार का नाम/(ऋण खाता नंबर) (डीएचएफएल पुराना ऋण खाता नंबर एवं आईसीआईसीआई नया ऋण खाता नंबर)	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	माँग सूचना की तिथि/ माँग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	मधुबाला सोनी/ राज सोनी/ शुभम सोनी/ सुरभि सोनी (271936388/ QZBLW00005009663) एवं एच नंबर 1403, नई बस्ती, करेड़ा, तहसील मांडल, पोस्ट ऑफिस के पास, भीलवाड़ा, राजस्थान, भीलवाड़ा- 311804	खसरा नंबर 4290 मिनट पर स्थित संपत्ति, रकबा का हिस्सा 1-0 5 बीघा, ग्राम करेड़ा, डाक बंगला के पीछे, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311804/ अक्टूबर 05, 2024	अप्रैल 20, 2024 रु. 3,85,276/-	भीलवाड़ा

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : अक्टूबर 10, 2024
स्थान : भीलवाड़ा

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

...मुख्यमंत्री के ...की जिम्मेदारी ...कुमारी ने प्रदेश की ...के सुदृढ़ीकरण एवं ...हित अन्य कामों के ...दिया है।

...में उदयपुर संभाग ...की स्थायी मरम्मत के

...खरवाड़ा के लिए ...ही विधानसभा वल्लभनगर के लिए 1364 लाख, उदयपुर ग्रामीण के लिए 660 लाख, गोगुंदा के लिए 576 लाख, मावली के लिए 355.42 और ... के लिए 31.20 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। ऐसे ही राजसमंद जिले में 182 कामों के लिए 1260 लाख, चित्तौड़गढ़ जिले में 24 कार्यों के लिए 1750.73

...के लिए 2031 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। आगामी दिनों में मिलने वाले बजट से पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से कार्यों को पूरा करने के लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। बजट मिलते ही इन कामों की शुरुआत की जाएगी। विभाग की कोशिश रहेगी कि निर्माण कार्य को आने वाले दिवाली त्यौहार से पहले शुरू किया जाए। ताकि लोगों को राहत दी जा सके।

में इस्तगासा ... बताया कि सवीना ... उनके परिचित दिलावर खान ने 1.30 लाख रुपए उधार लिए। इसके भुगतान के बदले दो चेक दिए। उन्होंने समय अवधि पूरी होने पर चेक बैंक में जमा कराए, जो बाउंस हो गए। उन्होंने भुगतान के लिए नोटिस भेजा तो दिलावर ने धमकियां दी और पैसे देने से मुकर गया।

...बेटे ने महिला को 169 ...कम जमीन बेची, केस

...नगर थाना क्षेत्र में मां-बेटे ने महिला ...फीट जमीन देने का झांसा देकर 169 ...जमीन की रजिस्ट्री करवा दी।

...अनुसार बालाजी एनक्लेव, सवीना ...लुणावत ने रिपोर्ट दी कि उनकी मां ...21 मई, 2015 को बेड़वास निवासी ...पालीवाल से भोइयों की पचोली में ...कृषि भूमि खरीदी थी। यह सौदा ...के बेटे हरीश पालीवाल ने करवाया ...चला कि जमीन 1514 नहीं, 1345 ...आरोपियों ने धोखाधड़ी कर 169 ...का हिस्सा कम दिया।

सौतेली मां को पशुपालन-खेती के लिए मिली जमीन, बेटे ने गिफ्ट डीड करवा कर हड़पी

उदयपुर| नाई थाना क्षेत्र में सौतेली मां को सरकार की ओर से खेती व पशुपालन के लिए मिली आधा बीघा जमीन को बेटे ने गिफ्ट डीड से खुद के नाम करवा दी। जबकि यह जमीन बेची या गिफ्ट नहीं की जा सकती है।

बूझड़ा निवासी रामचंद्र नागदा और प्रह्लाद नागदा ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। इसमें बताया कि बूझड़ा निवासी तुलसी बाई को गरीबी के चलते सरकार ने 7 सितंबर, 1991 को गांव में ही आधा बीघा जमीन आवंटित की थी। इस पर खेती और पशुपालन करने की अनुमति थी। इस जमीन को बेचा या किसी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता है। 22 सितंबर, 2021 को कन्हैयालाल ने सौतेली मां तुलसी बाई को अपनी सगी मां बताकर पंजीयन ऑफिस से गिफ्ट डीड की छूट ले ली। जबकि कन्हैयालाल की मां का नाम भंवरी बाई है और उनका देहांत हो चुका है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन खुद के नाम करवा दी। इस मामले में पुलिस और एसपी को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

...क्षण संस्थान का स्थापना ...शुरू, 16 तक होंगे कार्यक्रम

...संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मौजूद लोग।

...सर्किल स्थित ...संस्थान का ...स बुधवार ...पना सप्ताह ...व्य कार्मिक ...कुमार जैन ...क्षित गाड़ी ...के प्रशिक्षण ...शिक्षण की ...दौरान

प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रेल कर्मचारियों के साथ संस्थान परिवार के सदस्य भी हिस्सा लेंगे। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन 9 अक्टूबर 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यहां भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे से आए रेल कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470, यू.सी.सी. आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः- मैसर्स मेहाई मिनरल्स, एम.एल.न. 28 / 2022 (क्षेत्रफल 1.4688 हैक्टेयर) 'क्वार्टज एवं फैल्सपार', ग्राम-वसु, तहसील - गिर्वा (कुराबड़), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मेहाई मिनरल्स, एम.एल.न. 28 / 2022 (क्षेत्रफल 1.4688 हैक्टेयर) 'क्वार्टज एवं फैल्सपार', ग्राम-वसु, तहसील - गिर्वा (कुराबड़), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन (एम.एल.न. 28 / 2022, क्षेत्रफल 1.4688 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 161676 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है। 2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - गिर्वा (कुराबड़), जिला - उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ -470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.11.2024 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत वसु, ग्राम-वसु, तहसील-गिर्वा (कुराबड), जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कौविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये ...

दैनिक भास्कर के प्रतिष्ठित सम्मान
'प्राइड ऑफ राजस्थान' अवॉर्ड में भास्कर ...
...न विशिष्ट व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित जिन...
...लगन और समर्पण से राजस्थान को गौरवमयी ऊंचाइ...
अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज को नई दि...

दैनिक भास्कर
Presents

PRIDE OF RAJASTHAN 2024
THE CHANGE MAKERS

Coming soon...

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :
85100 98886 - 94616 41511